न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या–17/2017–18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

योगेश्वर महतो वगैरह बनाम मंजुड़ा देवी

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

विक्रेता का नाम एवं पता– 1. योगेश्वर महतो, पिता–स्व० कमल महतो,
2. मुचीराम महतो, पिता–स्व० देवनाथ महतो,
3. हलधर महतो, पिता–स्व० कांशीनाथ महतो, सभी ग्राम–बाबुरामडीह, डाकघर–बाबुरामडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता– मंजुड़ा देवी, पति–स्व० मोहन लाल महतो, ग्राम–कोकाडीह, डाकघर–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री शिव शंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–28/04/2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता मंजुड़ा देवी, पति–स्व० मोहन लाल महतो, ग्राम–कोंकाडीह, डाकघर–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
कोंकाडीह	तमाड़/176	35	475	31 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, तमाड़ के पत्रांक–700(ii), दिनांक–26/12/2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

01. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम पुन्दी महतो वल्द रोहीना महतो है
02. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध–पुत्र संबंध है।
03. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम घासीराम महतो वगैरह पिता पुन्दी महतो है तथा रैयत के पास कुल रकवा 06.24 ए० जमीन है।

......क्रमशः–पृ०सं०–2

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

04. जमाबंदी कायम होने का आधार–कायमी अधिकार है। सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि टांड़ II किस्म का है। प्रस्तावित जमीन के अन्य हिस्सेदार नहीं हैं।
05. जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012–13 तक वसुली गयी है।
06. प्रस्तावित जमीन बिक्री वाले क्षेत्र में आवेदक का पूर्ण एवं निजि हिस्सा है तथा जमीन विक्रय के पश्चात आवेदक के पास 05.73 ए० जमीन शेष रह जाएगा।
07. प्रस्तावित जमीन को मकान निर्माण एवं अन्य घरेलु कार्य हेतु विक्रय करना चाहते हैं।
08. क्रेता–विक्रेता दोनों ही कुरमी जाति के व्यक्ति हैं। क्रेता–विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता (1). योगेश्वर महतो, पिता–स्व० कमल महतो, (2). मुचीराम महतो, पिता–स्व० देवनाथ महतो, एवं (3). हलधर महतो, पिता–स्व० कांशीनाथ महतो, सभी ग्राम–बाबुरामडीह, डाकघर–बाबुरामडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता मंजुड़ा देवी, पति–स्व० मोहन लाल महतो, ग्राम–कोंकाडीह, डाकघर–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–28/04/2017 को आम इस्तेहार निर्गत की गई। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता (1). योगेश्वर महतो, पिता–स्व० कमल महतो, (2). मुचीराम महतो, पिता–स्व० देवनाथ महतो, एवं (3). हलधर महतो, पिता–स्व० कांशीनाथ महतो, सभी ग्राम–बाबुरामडीह, डाकघर–बाबुरामडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता मंजुड़ा देवी, पति–स्व० मोहन लाल महतो, ग्राम–कोंकाडीह, डाकघर–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
कोंकाडीह	तमाड़/176	35	475	31 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

08/03/18 | 08/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची।